राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स 2/ 31171-6692938/जो. जयपुर/2024/12562321 दिनांक 13.01.2025

श्री राजेश शर्मा,
प्रशासनिक अधिकारी,
विधि अनुभाग मुख्यालय ।

विषय– एस.बी. सिविल रिट संख्या 2254/2023 राजेन्द्र कुमार, सत्यप्रकाश नर्सिंग ऑफीसर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व अन्य माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है--

1. टिप्पणी आवश्यक नहीं है ।
2. विधिक बिन्दु है ।
3. सत्यापन के अध्याधीन मान्य है।
4. सत्यापन के अध्याधीन मान्य है।
5. सत्यापन के अध्याधीन मान्य है।
6. यथा लिखित मान्य नहीं है । याचिकाकर्ताओं का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु सत्र 2022–2023 में इनका चयन कर इन्हें कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर आंवटित किया गया । याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त कोर्स को रात्रीकालीन ड्यूटी के साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने का उल्लेख रिट में किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(ग्रुप–3) राज. जयपुर के आदेश कमांक एफ–07(1)चिस्वा/ग्रुप–3/2022 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पडने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होने की मध्यनजर पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये इच्छुक नर्सिंग पेरामेडिकल कार्मिकों को उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत करा कर ही उच्च अध्ययन पर प्रस्थान करने के निर्देश प्रदान किये गये है, के अनुसरण में उक्त आदेश जारी किये गये है, की प्रति संलग्न है ।
7. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
8. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
9. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
10. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
11. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
12. बिन्दु संख्या–6 पर उल्लेख किया जा चुका है ।
13. शेष विधिक बिन्दु है ।

इसके अतिरिक्त कार्मिक(क–3 जांच) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के **बिन्दु 10 में स्पष्ट उल्लेख है** कि प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। विभागीय परिपत्र दिनांक 22.12.2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत आरएसआर के नियम 110–112 में उल्लेखित प्रावधनों के अन्तर्गत स्वंय के बकाया/अध्ययन अवकाश पर ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग/एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है, की प्रति संलग्न है ।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार जवाब दावा तैयार करवाकर मा. न्यायालय में पेश करावे यदि किसी बिन्दु विशेष पर राय/टिप्पणी की आवश्यकता हो तो इस हेतु निदेशालय में सम्पर्क करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.13 11:13:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12562321

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स—2 / 31171-6692938 / जो. जयपुर / 2024 / दिनांक—

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय
2. श्री विज्ञान शाह, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राज. उच्च न्यायालय, जयपुर ।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जयपुर ।
4. अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
5. प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर ।
6. संबंधित कार्मिका द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई—मेल करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.11 11:13:39 IST
Reason: Approved